पंजीकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय : 3, मार्बल आर्च, सेनापति बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016

+91 22 24306321/24378866 24313938 abvpkendra@gmail.com www.abvp.org

दि. 7 फ़रवरी 2024

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर प्रदेशवासियों का अभिनंदन, पूरे देश में लागू हो समान नागरिक संहिता: अभाविप।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उत्तराखंड राज्य में व्यापक विमर्श के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर प्रदेशवासियों का अभिनंदन करती है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि उत्तराधिकार, विवाह, संपत्ति के अधिकार आदि संबंधी नियम समान होंगे। यह बहुप्रतीक्षित निर्णय देश को सकारात्मक दिशा दिखाने वाला है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अपने विभिन्न प्रस्तावों तथा छात्रा-छात्रों से विभिन्न माध्यमों से चर्चा के उपरांत यह मत प्रकट करती रही है कि देश में संविधान के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू की जाए। उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है, अभाविप की माँग है कि सम्पूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए।

भारत के विविधतापूर्ण समाज में समान नागरिक संहिता लागू होने से समतामूलक तथा सह-अस्तित्व की भावना और अधिक मजबूत होगी, ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करने के लिए प्रयास तेज हों। भारतीय समाज, स्वतंत्रता तथा समानता के आदर्श से प्रेरित हो निरंतर गतिशील है। समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड ने जो एक दिशा दिखाई है, वह 'एक देश, एक कानून' की आवश्यकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है कि राज्य, पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आज देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है तथा विभिन्न ऐतिहासिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। अभाविप आशान्वित है कि ऐसे प्रयास सम्पूर्ण भारतीय नागरिक समाज की एकसूत्रता की एक नई मजबूत दिशा देंगे।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री दिगम्बर पवार द्वारा जारी की गयी है।)